निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 87 / 2024
दायरा दिनांकः–15.07.2024
निर्णय दिनांकः– 22.1.25

उनवान

1. हुकमचन्द पुत्र गणेशलाल जाति महाजन (मातेश्वरी) निवासी छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 22-1-25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार गालव – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम छबडा पटवार हल्का छबड़ा जिला बारां में स्थित खाता संख्या 441 खसरा नम्बर 67 रकबा 3.0857 हैक्टयर, एंव खसरा नम्बर 68 / 1 रकबा 2.1499 खसरा 2 कुल रकबा 5.2356 हैक्टयर, वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसको वाद पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम सम्बोधित किया जावेगा। उक्त वादग्रस्त आराजी सम्वत 2074 से 2077 में खातेदार को रिज्यूमेशन खातेदार जमाबंदी मे दर्ज कर रखा है। जिसके कारण वाद ग्रस्त भूमि का खातेदार तहसील कार्यालय छबड़ा ऑन लाईन होने के बाद अपने खातेदारी की भूमि मे ना तो सरकारी योजनाओ का लाभ उठा सकता है। और ना ही बैंक से ऋण ले सकता है। जो कि एक खातेदार काश्तकार का कानूनी हक व वैधानिक अधिकार है। रिज्यूमेशन शब्द खातेदार के नाम के साथ दर्ज होने के कारण वादी को किसान केडिट कार्ड रिन्यू करवाने, अन्य लोन लेने लाईट कनेक्शन करवाने भूमि से सम्बन्धित विकाश कार्य करवाने में काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण वादी अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है। जो कि वादी का कानूनन वैधानिक अधिकार है। वादी की उक्त वादग्रस्त भूमि सम्वत 2012 से यानी सेटलमेन्ट के समय पर रिज्यूमेशन नही थी परन्तू बाद में राज्य कर्मचारियो ने गफलत एंव लापरवाही पूर्वक वादी के खातेदारी की भूमि पर शब्द राज्य सरकार के स्थान पर रिज्यूमेशन जोड दिया है। जिसका की उनको कोई कानूनी वैधानिक अधिकार नही था क्योकि यह शब्द नवाबी खानदानो द्वारा मुक्त मे दी गई भूमियो पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

लिखा जाता था परन्तु वाद ग्रस्त भूमि सम्वत 2012 से 2021 तक राजकीय भूमियो में दर्ज थी। वादी द्वारा वाद ग्रस्त सम्पत्ति पर रिज्यूमेशन शब्द हटाकर राज्य सरकार जोड़ने बाबत राजस्व कर्मचारियो से कई बार सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा राजस्व न्यायालय मे वाद पेश कर रिज्यूमेशन हटाने की दुरूस्ती करवाने लाने के लिए वादी को निर्देशित किया गया। वादी वाद ग्रस्त सम्पत्ति का खातेदार कृषक होने के नाते राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की सम्पूर्ण कृषि सम्बन्धित योजनाओ का लाभ लेने का कानूनन वैधानिक अधिकारी है। और वादी को पुर्ण अधिकार है। कि उक्त रिज्यूमेशन शब्द को हटवाकर अपनी खातेदारी में दुरूस्त करवाकर एंव कृषि जोत का पुर्ण मालिकाना हक प्राप्त कर सके। उक्त वाद का कारण प्रथम व अन्तिम बार उस समय उत्पन्न हुआ जब राजस्व कर्मचारियो द्वारा दिनांक 20/06/2024 को राजस्व न्यायालय मे वाद पेश करने की हिदायत दी गई। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिन्हे वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 80 सी०पी०सी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जो दिया जा चुका है। परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद 80(2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। वाद ग्रस्त आराजी वाके माल छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारा राजस्थान में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को सुनवाई का पुरा–पुरा श्रवणाधिकार व श्रेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार छबडा से जवाब प्राप्त हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 441 नकल जमाबन्दी कस्बा छबडार सम्वत् 2012–15 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2009–2012 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2013–2016 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2017–20 खाता संख्या 78 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2021–24 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 78 पेश की गई।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा में स्थित है। जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। विवादित आराजी सम्वत् 2074–77 में खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज कर रखा है तहसील छबडा ऑन लाईन होने के बाद प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि में ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकका है और ना ही बैंक से के.सी.सी ले सकता है रिज्यूमशन शब्द खातेदार के नाम के साथ दर्ज होने के कारण वादी को किसान क्रेडित कार्ड रिन्यू करवाने लोन लेने लाईट कनेक्शन करवाने भूमि से सम्बन्धित विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है उक्त भूमि पर सम्वत् 2012 से वादी सेटलमेन्ट के समय रिज्यूमशन नही था परन्तु बाद में जमाबन्दी में खातेदारी के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज कर दिया वादी उक्त भूमि से रिज्यूमशन को हटवा कर अपनी खातेदारी में दर्ज करवाकर भूमि पर पूर्व मालिकाना हक प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार कर जमाबन्दी से रिज्यूमशन हटाने का आदेश

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तहसीलदार छबडा को दिया जावे तथा वादी को पूर्व खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वाके ग्राम छबडा में खाता संख्या 441 के खसरा नम्बर 67 व 68 रकबा 5.2356 है0 भूमि रिज्यूम हुकमचन्द पुत्र गणेशलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति महाजन सा0देह खातेदार के राजस्व रिकार्ड दर्ज है उक्त भूमि नामान्तरण संख्या 833 से खसरा नम्बर 67 रकबा 12.04 बीघा भूमि रामप्रसाद पुत्र चम्पालाल जाति धाकड सा0देह चावलखेडी व नामान्तरण संख्या 834 से खसरा नम्बर 68 मि0 कमल प्रकाश, महेन्द्र, रामनिवास पुत्र रामप्रसाद से क्रय की गई थी तब से ही क्रेता का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि का जमाबन्दी में रिज्यूम सम्वत् 2074–77 की जमाबन्दी सेग्रीसन जमाबन्दी बनातें समय सहवन से दर्ज हो गया है खातेदार के हित में उक्त आराजी से नियमानुसार माफी रिज्यूम हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 441 में रिज्यूम हुकमचन्द पुत्र गणेशलाल महाजन दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2012 में अब्दुल रहमान पुत्र जमाल जाति मुसलमान का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2017–70 में चांद खां पुत्र नत्थें खां मुसलमान का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 78 में चांद खां पुत्र नत्थें खां जात मुसलमान (लखेरा) दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में सम्वत् 2012 से पहले व बाद में रिज्यूमशन दर्ज नही था। वर्तमान जमाबन्दी में रिज्युमशन दर्ज कर दिया गया है सेटलमेन्ट के समय खातें में रिज्यूमशन नही था बाद में खातेदार के नाम साथ–साथ रिज्यूमशन दर्ज कर दिया गया है। जिससे काश्तकार को काफी पेरशानियों का सामना करना पड रहा है

इस वाद को निर्णित करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आ0टी0एक्ट की धारा 15 विचारणीय है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादी पूर्व में खातेदार था तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 67 रकबा 3.0857 है0 एवं खसरा नम्बर 68/1 रकबा 2.1499 है0 भूमि से रिज्यूम शब्द हटाये जाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दियें जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 87/2024	धारा 88,89,91,92,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः- 22.1.25

समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री राकेश कुमार गालव–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

हुकमचन्द पुत्र गणेशलाल जाति महाजन (मातेश्वरी) निवासी छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 67 रकबा 3.0857 है0 एवं खसरा नम्बर 68/1 रकबा 2.1499 है0 भूमि से रिज्यूम शब्द हटाये जाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दियें जाते है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 22.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	विशेष मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		